राजस्थान सरकार

नागरिक अधिकार पत्र

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान

http://www.sje.rajasthan.gov.in

विभाग की पृष्ठभूमि

भारत द्वारा एक कल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) की संकल्पना को अंगीकृत किया हुआ है जिसके अन्तर्गत निर्बल वर्गो को सबल बनाने की दिशा में प्रयास किये जाते रहे हैं। इन प्रयासों को संविधान की बहुविध अनुसूचियों/अनुच्छेदों में समावेशित किया गया है। इसी वैचारिकी को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान सरकार ने भारत के संविधान के भाग–4 "राज्य के नीति के निर्देशक तत्व" सें संबंधित अनु. 46 **अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि–** राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा, में अन्तर्निहित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये पिछड़ी जाति कल्याण विभाग की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ही वर्ष 1951–52 में की गई। वर्ष 1955–56 में इस विभाग का नाम समाज कल्याण विभाग किया गया। राज्य सरकार ने दिनांक 21.02.2007 को एक अधिसूचना जारी कर अब इस विभाग का नाम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कर दिया है। विभाग का उक्त नाम संवैधानिक शब्दावली (राज्य नीति के निर्देशक तत्व) के सन्निकट अधिक है क्योंकि बदलते परिप्रेक्ष्य में वंचित वर्गो के कल्याण की अपेक्षा उनको सामाजिक न्याय प्रदान करना अधिक सुसंगत जान पड़ता है शैक्षणिक स्तर इत्यादि को उन्नत करना है जिससे इन वर्गों का सशक्तीकरण (Empowerment) हो क्योंकि सामाजिक न्याय का अर्थ है– वंचित लोगों को सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त हों। इस लक्ष्य को भारतीय संविधान में संरक्षी–विभेदीकरण (Protective discrimination) संबंधित प्रावधानों के रूप में समाहित किया गया है।

उद्देश्य

राज्य सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के गठन का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित आदर्शों की पूर्ति करना है जिसके तहत समाज के वंचित वर्ग/कमजोर जातियों को सामाजिक न्याय मुहैया करवाना मुख्य उद्देश्य है।

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, महिला एवं बालकों के विकास के लिए सतत प्रयासरत है। इन प्रयासों की एक लम्बी फेहरिस्त है जिसके अन्तर्गत शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक एवं पुनर्वास संबंधी व्यापक योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।
- विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं का दायरा समाज के कमजोर वर्गों तक हैं जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सहायता की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। विभाग के उद्देश्यों को उक्त पंक्ति के माध्यम से संदर्श किया जा सकता है कि ''यह एक ऐसा विभाग है जो वंचित/कमजोर वर्गों के कल्याणार्थ अनुदान देता है जिसके बदले में राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी नहीं होती है।
- सार रूप में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का उद्देश्य निर्बल को सबल, कमजोर को सशक्त, बेसहारा को सहारा देकर कमजोर वर्गों/जातियों के जीवन के विभिन्न आयामों का सबलीकरण करना है ताकि इन वर्गों/जातियों का समाज की मुख्य धारा में समावेश किया जाकर एक स्वस्थ एवं सुदृढ़ समाज निर्माण की दिशा एवं दशा को अग्रसर किया जा सके। चूंकि इन वर्गों के विकास किये बिना सतत विकास की संकल्पना नहीं की जा सकती है अतः कमजोर वर्गों का विकास आज के परिवेश की एक महती एवं स्वाभाविक आवश्यकता है। भारतीय संविधान में अंकित नीति निर्देशक तत्वों के तहत कल्याणकारी राज्य की संकल्पना भी मूर्त रूप ले सकेगी। अतः इन सभी लक्ष्यों को हासिल करना ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का उद्देश्य है और इनकी प्राप्ति हेतु विभाग सतत क्रियाशील है।

अनुक्रमणिका	पेज नं.
(1) सामाजिक सुरक्षा योजनाएं	**7–10**
• इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	7
• इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	7
• इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	8
• मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना	8
• मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना	9
• मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना	9
• लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना	10
(2) शैक्षणिक उत्थान	**11–14**
• उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	11
• उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति	11
• उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति – अन्य पिछडा वर्ग	11
• डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	11
• अम्बेडकर DNTs उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	11
• मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना डॉ	12
• अनुप्रति योजना	12
• छात्रावास सुविधा	13
• आवासीय विद्यालय योजना	13
• अम्बेड़कर डीबीटी वाउचर योजना	14
(3) महिला एवं बाल कल्याण	**15–16**
• विधवा विवाह उपहार योजना	15
• मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	15
• पालनहार योजना	16
• मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना	16
(4) विशेष योग्यजन कल्याण योजनाएं	**17–18**
• विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना	17
• विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना	17
• विशेष योग्यजन राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना	17
• विशेष योग्यजन खेलकूद योजना	17
• मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना	18
• संयुक्त सहायता अनुदान योजना	18
• विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति	18
(5) बाल कल्याण योजनाएं	**19–20**
• दत्तक ग्रहण कार्यक्रम	19
• वात्सल्य योजना	19
• गोराधय ग्रुप फोस्टर केयर योजना	20
• बाल मित्र योजना	20
• नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार योजना	20
(6) आर्थिक उत्थान की योजनाएं	**21–24**
• विशेष केन्द्रीय सहायता योजना	21

• राष्ट्रीय निगम योजना	22–24
• महाराणा प्रताप मकान निर्माण योजना	24
• गाड़िया लौहारों को कच्चा माल क्रय हेतु अनुदान सहायता योजना	24
(7) देवनारायण योजना	**26–27**
• देवनारायण योजनान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	25
• देवनारायण योजनान्तर्गत पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	25
• देवनारायण गुरूकुल योजना	26
• देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना	26–27
(8) सामाजिक उत्थान एवं संरक्षण	**28**
• डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अर्न्तजातिय विवाह	28

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं					
क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता	निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी	निस्तारण अवधि	निस्तारण अवधि में समाधान न होने पर नियंत्रण अधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन देय है।	ग्रामीण क्षेत्र. के आवेदकों के लिये संबंधित क्षेत्र का विकास अधिकारी (पंचायत समिति)एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड का उपखण्ड अधिकारी	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदन की जांच एवं सत्यापन हेतु 30 दिवस, पेंशन स्वीकृति हेतु 15 दिवस, जिला कलक्टर को अपील करने की स्थिति में 15 दिवस में अपील निस्तारण एवं अपील निस्तारण के बाद 30 दिवस में भुगतान तथा भुगतान हेतु 45 दिवस निर्धारित है । कुल 90 दिवस	संबंधित जिले का जिला कलक्टर/ आयुक्त अथवा निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप चयनित बी.पी.एल. परिवार की 40 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाए पेंशन की पात्र है,(जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार बी.पी.एल. सूची में सूचीबद्ध हो)	ग्रामीण क्षेत्र. के आवेदकों के लिये संबंधित क्षेत्र का विकास अधिकारी (पंचायत समिति) एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड का उपखण्ड अधिकारी	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदन की जांच एवं सत्यापन हेतु 30 दिवस, पेंशन स्वीकृति हेतु 15 दिवस, जिला कलक्टर को अपील करने की स्थिति में 15 दिवस में अपील निस्तारण एवं अपील निस्तारण के बाद 30 दिवस में भुगतान तथा भुगतान हेतु 45 कार्य दिवस निर्धारित है । कुल 90 दिवस	संबंधित जिले का जिला कलक्टर/ आयुक्त अथवा निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता	निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी	निस्तारण अवधि	निस्तारण अवधि में समाधान न होने पर नियंत्रण अधिकारी
1	2	3	4	5	6
3.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के वे व्यक्ति जो बहु निःशक्तता या गुरूत्तर निःशक्तता से ग्रसित है ओर जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, पेंशन के पात्र है। इस योजना में पात्रता रखने वाले निःशक्त ''निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995'' में वर्णित निम्न 7 श्रेणियों में आने वाले निःशक्तजनों को पात्र माना जायेगा– 1. अंधता, 2. कम दृष्टि, 3. कुष्ठ रोग मुक्त, 4. श्रवण शक्ति ह्रास, 5. चलन निःशक्तता, 6. मानसिक मंदता, 7. मानसिक रूग्णता	ग्रामीण क्षेत्र. के आवेदकों के लिये संबंधित क्षेत्र का विकास अधिकारी (पंचायत समिति) एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड का उपखण्ड अधिकारी	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदन की जांच एवं सत्यापन हेतु 30 दिवस, पेंशन स्वीकृति हेतु 15 दिवस, जिला कलक्टर को अपील करने की स्थिति में 15 दिवस में अपील निस्तारण एवं अपील निस्तारण के बाद 30 दिवस में भुगतान तथा भुगतान हेतु 45 दिवस निर्धारित है । कुल 90 दिवस	संबंधित जिले का जिला कलक्टर/ आयुक्त अथवा निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4.	मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना (राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना)	55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरूष जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नी/पति की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्रार्थी एवं पत्नी/पति की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 48000/– से कम हो, को पेंशन देय है। बी.पी.एल./अन्त्योदय/आस्था कार्ड धारी परिवार/ सहरिया/ कथौड़ी/खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है। **नोटः**–यदि प्रार्थी के पति या पत्नि या पुत्र राजकीय सेवा/राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या राजकीय पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।	ग्रामीण क्षेत्र. के आवेदकों के लिये संबंधित क्षेत्र का विकास अधिकारी (पंचायत समिति) एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड का उपखण्ड अधिकारी	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदन की जांच एवं सत्यापन हेतु 30 दिवस, पेंशन स्वीकृति हेतु 15 दिवस, जिला कलक्टर को अपील करने की स्थिति में 15 दिवस में अपील निस्तारण एवं अपील निस्तारण के बाद 30 दिवस में भुगतान तथा भुगतान हेतु 45 दिवस निर्धारित है । कुल 90 दिवस	संबंधित जिले का जिला कलक्टर/ आयुक्त अथवा निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं					
क्र. सं.	**योजना का नाम**	**पात्रता**	**निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी**	**निस्तारण अवधि**	**निस्तारण अवधि में समाधान न होने पर नियंत्रण अधिकारी**
1	2	3	4	5	6
5.	मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना (राज्य विधवा पेंशन योजना)	18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा / परित्यक्ता /तलाकशुदा महिला, जो राजस्थान की मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रही हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्रार्थी की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 48000/– से कम हो, को पेंशन देय है। बी.पी.एल./अन्त्योदय/आस्था कार्ड धारी परिवार/ सहरिया/कथौड़ी/खैरवा जाति की विधवा / परित्यक्ता/ तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है। **नोटः–** यदि प्रार्थी के पुत्र राजकीय सेवा/राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या राजकीय पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी।	ग्रामीण क्षेत्र. के आवेदकों के लिये संबंधित क्षेत्र का विकास अधिकारी (पंचायत समिति) एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड का उपखण्ड अधिकारी	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदन की जांच एवं सत्यापन हेतु 30 दिवस, पेंशन स्वीकृति हेतु 15 दिवस, जिला कलक्टर को अपील करने की स्थिति में 15 दिवस में अपील निस्तारण एवं अपील निस्तारण के बाद 30 दिवस में भुगतान तथा भुगतान हेतु 45 दिवस निर्धारित है । कुल 90 दिवस	संबंधित जिले का जिला कलक्टर/ आयुक्त अथवा निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
6.	मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना (राज्य निःशक्तजन पेंशन योजना)	किसी भी आयु का विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अन्धता, अल्प दृष्टि, चलन निःशक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता (40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता) से ग्रसित हो, प्राकृतिक रूप से बोनेपन (वयस्क व्यक्ति के मामलों में उँचाई 3 फीट 6 इंच से कम हो एंव प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र धारक हो) से ग्रसित हो तथा प्राकृतिक रूप से हिजड़ापन से ग्रसित हो, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं 1 .जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय (समस्त स्त्रोतों से) रू.60000/– तक हो, पेंशन का पात्र होगा। 2. बी.पी.एल./अन्त्योदय/आस्था कार्ड धारी परिवार/ सहरिया/ कथौड़ी/खैरवा जाति के विशेष योग्यजन को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है। **नोटः–** यदि प्रार्थी स्वंय या पति या पत्नि या पुत्र राजकीय सेवा/राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या राजकीय पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।	ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के लिये संबंधित क्षेत्र का विकास अधिकारी (पंचायत समिति) एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड का उपखण्ड अधिकारी	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदन की जांच एवं सत्यापन हेतु 30 दिवस, पेंशन स्वीकृति हेतु 15 दिवस, जिला कलक्टर को अपील करने की स्थिति में 15 दिवस में अपील निस्तारण एवं अपील निस्तारण के बाद 30 दिवस में भुगतान तथा भुगतान हेतु 45 दिवस निर्धारित है । कुल 90 दिवस	संबंधित जिले का जिला कलक्टर/ आयुक्त अथवा निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं					
क्र. सं.	**योजना का नाम**	**पात्रता**	**निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी**	**निस्तारण अवधि**	**निस्तारण अवधि में समाधान न होने पर नियंत्रण अधिकारी**
1	2	3	4	5	6
7.	लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना	लघु व सीमान्त श्रेणी के कृषक परिवारों की 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरूष, जो राजस्थान के मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो।	ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के लिये संबंधित क्षेत्र का विकास अधिकारी (पंचायत समिति) एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड का उपखण्ड अधिकारी	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदन की जांच एवं सत्यापन हेतु 30 दिवस, पेंशन स्वीकृति हेतु 15 दिवस, जिला कलक्टर को अपील करने की स्थिति में 15 दिवस में अपील निस्तारण एवं अपील निस्तारण के बाद 30 दिवस में भुगतान तथा भुगतान हेतु 45 दिवस निर्धारित है । कुल 90 दिवस	संबंधित जिले का जिला कलक्टर/ आयुक्त अथवा निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।

शैक्षणिक उत्थान की योजनाएं

क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता	निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी	निस्तारण अवधि	निस्तारण अवधि में समाधान न होने पर नियंत्रण अधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	1. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. छात्र–छात्रा अनुसूचित जाति का सदस्य हो। 3. छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो। 4. छात्र–छात्रा के माता–पिता/ पति–पत्नी/ संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख तक हो।	सम्बन्धित जिले के विभाग का जिलाधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी	पूर्ण आवेदन प्राप्ति के पश्चात् उसी वित्तीय वर्ष में	अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)
2	अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	1. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. छात्र–छात्रा अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो। 3. छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो। 4. छात्र–छात्रा के माता–पिता/ पति–पत्नी/ संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख तक हो।	सम्बन्धित जिले के विभाग का जिलाधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी	पूर्ण आवेदन प्राप्ति के पश्चात् उसी वित्तीय वर्ष में	अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)
3	अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	1. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. छात्र–छात्रा अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए निर्धारित 1 से 17 प्राथमिकताओं का हो। 3. छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो। 4. छात्र–छात्रा के माता–पिता/ पति–पत्नी/ संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 1.50 लाख तक हो। विद्यार्थी 1 से 17 श्रेणियों की पात्रता रखता हो विद्यार्थी द्वारा गत वर्ष में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हो। **(शैक्षणिक सत्र 2019–20 से प्रारम्भ)**	सम्बन्धित जिले के विभाग का जिलाधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी	पूर्ण आवेदन प्राप्ति के पश्चात् उसी वित्तीय वर्ष में (सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत विभाग द्वारा निर्धारित 17 प्राथमिकताओं के अनुसार)	अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)
4	डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	1. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. छात्र–छात्रा आरक्षित वर्ग की जातियों के अतिरिक्त सामान्य जातियों का हो। 3. छात्र–छात्रा राजकीय शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो। 4. छात्र–छात्रा के माता–पिता/ पति–पत्नी/ संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 1.00 लाख तक हो।	सम्बन्धित जिले के विभाग का जिलाधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी	पूर्ण आवेदन प्राप्ति के पश्चात् उसी वित्तीय वर्ष में।	अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)
5	डॉ. अम्बेडकर DNTs उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	1. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. छात्र–छात्रा DNTs (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों को छोड़कर) के अतिरिक्त जातियों का हो। 3. छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो। 4. छात्र–छात्रा के माता–पिता/ पति–पत्नी/ संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.00 लाख तक हो।	सम्बन्धित जिले के विभाग का जिलाधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी	पूर्ण आवेदन प्राप्ति के पश्चात् उसी वित्तीय वर्ष में	अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)

शैक्षणिक उत्थान की योजनाएं					
क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता	निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी	निस्तारण अवधि	निस्तारण अवधि में समाधान न होने पर नियंत्रण अधिकारी
1	2	3	4	5	6
6	मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना	1. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. छात्र–छात्रा किसी भी वर्ग/जाति से हो। 3. छात्र–छात्रा राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो। 4. छात्र–छात्रा के माता–पिता/ पति–पत्नी/ संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 5.00 लाख तक हो।	सम्बन्धित जिले के विभाग का जिलाधिकारी	पूर्ण आवेदन प्राप्ति के पश्चात् उसी वित्तीय वर्ष में	अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)
7	मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना	**1.** अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो। **2.** अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति–पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य हो। **3.** अभ्यर्थी के माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) रूपये 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) से कम हो या जिनके माता–पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे–मैट्रिक्स का लेवल–11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों। अभ्यर्थी के माता–पिता/ अभिभावक राजकीय/ बोर्ड/ निगम/निजी सेवा में सेवारत /कार्यरत वेतनभोगी है तो विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष/ नियोक्ता द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र। **4.** अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में संचालित अनुप्रति योजना का लाभ नहीं लिया हो। **5.** योजनान्तर्गत शैक्षणिक योग्यता परीक्षावार वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05.06.2021 के अनुसार होगी।	सम्बन्धित जिले के विभाग का जिलाधिकारी / सम्बन्धित जिले का जिला अल्पसंख्यक अधिकारी/ जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग का अधिकारी	पूर्ण आवेदन प्राप्ति के पश्चात् उसी वित्तीय वर्ष में मैरिट के अनुसार चयन होने पर	अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)

शैक्षणिक उत्थान की योजनाएं

क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता	निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी	निस्तारण अवधि	निस्तारण अवधि में समाधान न होने पर नियंत्रण अधिकारी
1	2	3	4	5	6
8.	छात्रावास संचालन योजना	1. विद्यार्थी अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/अति पिछड़ा वर्ग का स्थानीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्रा हो। 2. राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। 3. आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में प्रवेश के लिये कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत छात्र–छात्रा को प्रवेश देय है। 4. छात्र–छात्रा का चरित्र प्रमाण–पत्र विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। 5. छात्रावास प्रवेश हेतु प्रथम वरियता किसी भी वर्ग के कोरोना वैश्विक महामारी से अनाथ/विधवा के पुत्र–पुत्री इसके पश्चात संबधित वर्ग के बी.पी.एल परिवार के छात्र–छात्रा को दी जायेगी, इसके बाद आरक्षित वर्ग के विकलांग/विधवा परिवारों के छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा। 6. प्रवेश हेतु गत कक्षा में 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। शैक्षणिक सत्र 2021–22 में कोविड–19 महामारी के कारण उक्त के स्थान पर छात्रावासों में प्रवेश हेतु छात्र–छात्राओं को अगली कक्षा में क्रमोन्नत किये जाने का विकल्प किया गया है। 7. छात्र–छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 8.00 लाख रूपयें से अधिक नहीं हो। जिन छात्र–छात्राओं के माता–पिता राज्य सरकार के कर्मचारी है एवं लेवल'11 तक (अधिकतम 8.00 लाख रूपये वार्षिक) वेतन प्राप्त कर रहे है, विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।	सम्बधित जिले का जिलाधिकारी	पूर्ण आवेदन प्राप्ति के पश्चात् 1 माह में	अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)
9.	आवासीय विद्यालय योजना	1. कक्षा 6 से 12 में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों का चयन गत वर्ष की उत्तीर्ण परीक्षा में अर्जित अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाता है। 2. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के बालकों के लिये मण्डोर (जोधपुर), केनपुरा (पाली), बगड़ी (दौसा), अटरू (बांरा), खेडाआसपुर (डूंगरपुर),चाण्डपुरा (जालौर), देवडूंगरी (पाली), बालेटा (अलवर), गुड़ला (करौली) में आवसीय विद्यालय संचालित किये जा रहे है। 3. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के बालिकाओं के लिए भैंसवाड़ा (जालौर), पावटा (नागौर), छाण (सवाईमाधोपुर), हिंगी (कोटा), आटूण (भीलवाडा), तेलीखेड़ा (भीलवाड़ा), मच्छीपुरा (सवाईमाधोपुर), अमरपुर (दौसा), रसेरी बयाना (भरतपुर), मकसुदनपुरा (सवाईमाधोपुर), केकड़ी (अजमेर), हिण्डोली (बूंदी), युसुफपुरा (टोंक), वजीरपुरा (टोंक), देवलेन (करौली) खोडन (बासंवाडा), मेहरड़ा गुर्जरवास (झुंझुनू), पीपलोद(शाहपुरा) एवं जैसिंधर स्टेशन (बाड़मेर) में आवासीय विद्यालय संचालित किये जा रहे है। 4. पशुपालकों के बच्चों के लिये– हरियाली (जालौर) धनवाडा (झालावाड) जैतेश्वर धाम सिणधरी (बाड़मेर), सागवाड़ा (डुंगरपुर), एवं एवं भिक्षावृत्ति एवं अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बालकों के लिये– मण्डाना (कोटा) में आवासीय विद्यालय संचालित किये जा	संबंधित आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक	पूर्ण आवेदन प्राप्ति के पश्चात् 1 माह में	अतिरिक्त निदेशक, राजस्थान रेंजीडेंसियल एजूकेशन इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)

		रहे हैं। 5. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अनाथ बालक/बालिका, विशेष योग्यजन स्वयं, विधवा/परित्यक्ता के बच्चे, विशेष योग्यजन परिवार के बालक/बालिका, बी.पी.एल. परिवार के बालक/बालिका एवं 8.00 लाख वार्षिक आय सीमा वाले परिवार के बच्चों को प्राथमिकता।			
10.	अम्बेड़कर डीबीटी वाउचर योजना	1. अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमोर वर्ग का सदस्य हो। 3. अभ्यर्थी के माता–पिता, अभिभावक की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुए यदि हो तो) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के छात्र के वार्षिक आय 2.50 लाख रू., अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1.50 लाख रू., आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1.00 लाख रू., से अधिक नहीं हो। 4. जिला स्तर पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक पाठ्यक्रम में अध्ययरत हो। 5. अभ्यर्थी जिस जिले के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययरत है उस नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका का निवासी न हो। 6. योजना के तहत विद्यार्थी जिनक माता–पिता/ अभिभावक – के पास स्वंय का मकान उस शहर या स्थान पर होने पर हां वह अध्ययनरत है, वह योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा। 7. छात्र को योजना का लाभ अधितकम पॉच वर्षों के लिए देय होगा। 8. जो छात्र सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे है, उन्हें उक्त योजना का लाभ देय नहीं होगा।	सम्बधित जिले का जिलाधिकारी	–	अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)

महिला एवं बाल कल्याण

क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता	निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी	निस्तारण अवधि	निस्तारण अवधि में समाधान न होने पर नियंत्रण अधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	विधवा विवाह उपहार योजना	1. आवेदक विधवा हो तथा वैधव्यता पूर्ण जीवन व्यतीत कर रही हो। 2. इन नियमों के लागू होने से पूर्व उसने पुनर्विवाह नहीं किया हो। 3. विधवा की आयु 18 वर्ष से कम व 50 वर्ष से अधिक न हो। 4. आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रही हो। 5. वह विधवा पेंशन पाने की पात्र हो। 6. उसके परिवार का कोई सदस्य 20 वर्ष या उससे अधिक आयु का न हो व आय संबंधी पेंशन की पात्रता की शर्तें शामिल है।	संबंधित जिले के विभाग के उपनिदेशक/सहायक निदेशक	15 दिवस	आयुक्त/निदेशक, सान्याअवि
2.	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	वर्ष 2020–21 में विभाग के आदेश क्रमांक 26019 दिनांक 29.04.2020 द्वारा सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तन कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किया गया है। 1. योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की कन्याओं, शेष सभी वर्गो के बीपीएल परिवारों, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार में लाभान्वित कन्याओं एवं महिला खिलाडियों के स्वयं के विवाह पर आर्थिक सहायता दी जाती है। 2. बी.पी.एल. चयनित परिवार होने के प्रमाण पत्र। 3. अन्त्योदय परिवार से सम्बंधित होने की स्थिति में अन्त्योदय कार्ड 4. आस्था कार्डधारी होने की स्थिति में आस्था कार्ड। 5. (क) यदि आवेदिका विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता है तो आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न किये जायेगे :– 1. विधवा पेंशन का पी.पी.ओ.। 2. आय प्रमाण पत्र। 3. राशन कॉर्ड में वर्णित सदस्यों में ज्येष्ठ पुत्र की आयु का प्रमाण पत्र। (ख) विधवा पेंशन प्राप्त नहीं करने की स्थिति में आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज भी संलग्न किये जायेंगे:– 1. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। 2. आय प्रमाण पत्र। 3. राशन कार्ड में वर्णित सदस्यों में ज्येष्ठ पुत्र की आयु का प्रमाण पत्र। 6. वर एवं वधु की आयु के प्रमाण पत्र, यदि स्कूल पढ़ने गई है तो स्कूल प्रमाण पत्र अथवा मतदाता सूची में कन्या का नाम अंकित होने का प्रमाण पत्र अथवा राशन कार्ड की स्वःप्रमाणित प्रति मान्य होगी।	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी	15 दिवस	आयुक्त/निदेशक, सान्याअवि

महिला एवं बाल कल्याण					
क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता	निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी	निस्तारण अवधि	निस्तारण अवधि में समाधान न होने पर नियंत्रण अधिकारी
1	2	3	4	5	6
3.	पालनहार योजना	1. ऐसे अनाथ बच्चे जिनके माता–पिता की मृत्यु हो चुकी हो अथवा मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास प्राप्त माता/पिता अथवा निराश्रित पेंशन हेतु पात्र विधवा माता अथवा पुनर्विवाहित विधवा माता अथवा कुष्ठ रोग/एड्स पीडित माता/पिता अथवा जिनकी माता उन्हें छोडकर नाते चली गई हो और उसे नाते गये हुए एक वर्ष से अधिक हो गया हो अथवा विशेष योग्यजन माता/पिता अथवा तलाकशुदा व परित्यक्ता महिला अथवा सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित माता/पिता के बच्चे पालनहार योजनान्तर्गत पात्र है। 2. पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3. बच्चों की उम्र जन्म से लेकर 18 वर्ष तक होनी चाहिए। 4. आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हो।	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी	90 दिवस	आयुक्त/निदेशक, सान्याअवि
4.	मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना	1. पालनहार योजना के अन्तर्गत लाभान्वित बच्चे जिनकी आयु 15 वर्ष पूर्ण हो चुकी है एवं अधिकतम आयु 21 वर्ष हो, योजना में पात्र होंगे। 2. योजना के अन्तर्गत उक्त पात्रताधारियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु व्यावसायिक, तकनीकी तथा उच्च शिक्षा की सुविधा, कौशल विकास प्रदान किया जायेगा।	संबंधित जिले के विभाग के उपनिदेशक/सहायक निदेशक	1 माह	आयुक्त/निदेशक, सान्याअवि

विशेष योग्यजन कल्याण योजनाएं

क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता	निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी	निस्तारण अवधि	निस्तारण अवधि में समाधान न होने पर नियंत्रण अधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना	1. विशेष योग्यजन वर की आयु 21 वर्ष व वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 2. प्रार्थी के पास चिकित्सा अधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या अधिक का निःशक्तता प्रमाण पत्र हो। 3. प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो। 4. संरक्षक/माता–पिता अथवा आवेदक स्वरोजगार में हो तो समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2,50,000 रूपये से अधिक न हो।	संबंधित जिले के विभाग का जिलाधिकारी	पूर्ण आवेदन प्राप्ति के पश्चात् 3 माह में	अतिरिक्त निदेशक
2.	विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना	1. अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। 2. अभ्यर्थी 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक विशेष योग्यजन हो। 3. विशेष योग्यजन (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये) से अधिक न हो। यदि अभ्यर्थी के माता–पिता/अभिभावक राजकीय सेवा में कार्यरत है तो विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। 4. अभ्यर्थी द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण उतीर्ण कर लिया गया हो। 5. अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लिया हो।	संबंधित जिले के विभाग का जिलाधिकारी	पूर्ण आवेदन प्राप्ति के पश्चात् 3 माह में	अतिरिक्त निदेशक
3.	विशेष योग्यजन राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना	1.राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा चयन। 2. राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।	संबंधित जिले के विभाग का जिलाधिकारी	पूर्ण आवेदन प्राप्ति के पश्चात् 5 माह में	अतिरिक्त निदेशक
4.	विशेष योग्यजन खेलकूद योजना	I. अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। II. अभ्यर्थी विशेष योग्यजन हो। III. योजनान्तर्गत कोई भी विशेष योग्यजन खेलकूद/सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में रूचि रखता हो।	संबंधित जिले के विभाग का जिलाधिकारी	पूर्ण आवेदन प्राप्ति के पश्चात् 6 माह में	अतिरिक्त निदेशक

विशेष योग्यजन कल्याण योजनाएं

क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता	निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी	निस्तारण अवधि	निस्तारण अवधि में समाधान न होने पर नियंत्रण अधिकारी
1	2	3	4	5	6
5.	मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना	1. भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (The Rights of Persons with Disabilities Act) 2016 के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजन होना चाहिये। जिसकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या अधिक होना चाहिये 2. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो। 3. आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष हो। 4. आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक न हो। 5. आवेदक द्वारा पूर्व में कियोस्क योजना अथवा अन्य किसी योजना में स्वरोजगार व्यवसाय योजना के अन्तर्गत सब्सिडी आदि का लाभ नही लिया गया हो। 6. आवेदक पर किसी भी बैंक, सहकारी अथवा अर्द्ध सरकारी संस्था का अवधि पार ऋण बकाया नही हों। 7. आवेदक का निःशक्तता परिचय पत्र व पासबुक बनी हुई होनी चाहिये।	संबंधित जिले के विभाग का जिलाधिकारी	पूर्ण आवेदन प्राप्ति के पश्चात् 6 माह में	अतिरिक्त निदेशक
6.	संयुक्त सहायता अनुदान योजना	1. प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. प्रार्थी को चिकित्सा अधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशक्तता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो, जो 40 प्रतिशत से कम का नही हो। 3. प्रार्थी जो किसी रोजगार में हो अथवा स्वरोजगार में लगा हुआ हो, उसके परिवार सहित समस्त स्त्रोतों से प्राप्त आय के आधार पर आयकर दाता नही हो ।	संबंधित जिले के विभाग का जिलाधिकारी	पूर्ण आवेदन प्राप्ति के पश्चात् 3 माह में	अतिरिक्त निदेशक
7.	विशेष योग्यजन छात्रवृति योजना	1. छात्र/छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। 2. छात्र/छात्रा के अभिभावक/संरक्षक की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3. छात्र/छात्रा पूर्व में अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति/भत्ता राज्य सरकार अथवा स्वयंसेवी संस्था/ ट्रस्ट से प्राप्त नहीं कर रहा हो। 4. छात्र/छात्रा गत वर्ष की कक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया हो। 5. आवेदक के पास अधिकृत चिकित्सा अधिकारी/बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या अधिक का निःशक्तता प्रमाण पत्र होना चाहिए। 6. प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।	संबंधित जिले के विभाग का जिलाधिकारी	पूर्ण आवेदन प्राप्ति के पश्चात् 6 माह में	अतिरिक्त निदेशक

बाल कल्याण योजनाएं					
क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता	निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी	निस्तारण अवधि	निस्तारण अवधि में समाधान न होने पर नियंत्रण अधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	दत्तक ग्रहण कार्यक्रम	1. भावी दत्तक माता–पिता को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से दृढ वित्तीय रूप से सक्षम हो और उनकी जीवन को जाखिम में डालने वाली चिकित्सा दशा नहीं हो। 2. कोई भी भावी दत्तक माता–पिता उसकी वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना और भले ही उसका अपना जैविक पुत्र या पुत्री हो अथवा नहीं हो, निम्नलिखित के अध्यधीन बालक का दत्तक ग्रहण कर सकता है– • विवाहित दंपति की दशा में, दत्तक ग्रहण पति–पत्नी दोनों की सहमति आवश्यक होगी। • एकल स्त्री किसी भी लिंग के बालक का दत्तकग्रहण कर सकती है। • एकल पुरूष किसी बालिका के दत्तकग्रहण के लिए पात्र नहीं होंगे। 3. किसी भी बालक को एक दंपति को तब तक दत्तक ग्रहण में नही दिया जाएगा जब तक कि उन्होंने स्थायी वैवाहिक संबंधों के कम से कम दो वर्ष पूरे नहीं कर लिए हो। 4. पात्रता निर्धारित करने के लिए दत्तक ग्रहण माता–पिता की आयु सबंधी पात्रता दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के अनुसार हो। 5. दंपति के मामले में, भावी दत्तक माता–पिता की संयुक्त आयु मानी जायेगी। 6. बालक और भावी दत्तक माता–पिता में से प्रत्येक की आयु में न्यूनतम अंतर 25 वर्ष से कम नहीं हो।	अधीक्षक, राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी	संबंधित सक्षम प्राधिकरण से आदेश प्राप्त होने पर 15 दिवस में	उप निदेशक, सारा
2.	वात्सल्य योजना	1. कोई भी भारतीय नागरिक जो विगत 2 वर्ष से राजस्थान में निवासरत हो। 2. कोई भी दम्पति के मध्य न्यूनतम 2 वर्ष का स्थाई वैवाहिक सम्बन्ध हो। 3. भावी पोषक माता/पिता आयकरदाता हो। 4. भावी पोषक माता/पिता की अधिकतम संयुक्त आयु 120 वर्ष से अधिक नहीं हो। एकल व्यक्ति (महिला या पुरूष) की स्थिति में न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हो। 5. एकल पुरूष किसी बालिका को पालन पोषण देखरेख में लेने के पात्र नहीं होंगें। 6. भावी पोषक माता/पिता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो।	सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई	संबंधित सक्षम प्राधिकरण से आदेश प्राप्त होने पर 15 दिवस में	उप निदेशक, सारा

बाल कल्याण योजनाएं					
क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता	निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी	निस्तारण अवधि	निस्तारण अवधि में समाधान न होने पर नियंत्रण अधिकारी
1	2	3	4	5	6
3.	गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना	1. अधिकृत स्वयंसेवी संस्था द्वारा निम्न मापदण्ड पर चिन्हित देखभालकर्ता– ● देखभालकर्ता (पति–पत्नी) विगत 2 वर्ष से राजस्थान में निवासरत हो। ● देखभालकर्ता के मध्य न्यूनतम 2 वर्ष का स्थाई वैवाहिक सम्बन्ध हो। ● देखभालकर्ता आयकरदाता हो। ● देखभालकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो।	सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई	संबंधित सक्षम प्राधिकरण से आदेश प्राप्ति के पश्चात 30 दिवस में	उप निदेशक, सारा
4.	बाल मित्र योजना	1. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव विकास या मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर की शैक्षणिक उपाधि एवं बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 05 वर्ष का कार्यानुभव प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता। 2. बाल मनोविज्ञान या बाल संरक्षण विषय पर डिप्लोमा / सर्टिफिकेट प्राप्त योग्यताधारी सामाजिक कार्यकर्ता को सहायक व्यक्ति के रूप में नियुक्ति हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। 3. सामाजिक कार्यकर्ता राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।	सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई	संबंधित सक्षम प्राधिकरण से आदेश प्राप्त होने पर 15 दिवस में	उप निदेशक, आईसीपीएस
5.	नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार योजना	1. अनुशंषा समिति द्वारा निम्न योग्याताओं के आधार पर चयनित– ● राजस्थान राज्य का मूल निवासी सामाजिक कार्यकर्ता (लोक सेवक के अतिरिक्त) जिसने कम से कम 07 वर्ष का बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यानुभव प्राप्त हो। ● हितधारक (जिला बाल संरक्षण इकाई / चाईल्ड लाईन–1098) जिसने अपने कार्य–क्षेत्र में बाल संरक्षण हेतु विशिष्ट कार्य किया हो। ● राजस्थान राज्य में कम से कम 05 वर्ष से पंजीकृत होकर स्वयंसेवी संस्था (सोसायटी / ट्रस्ट) द्वारा बाल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो। ● राजस्थान राज्य में कम से कम 05 वर्ष से पंजीकृत बाल देखरेख संस्थान संचालित करने वाली राजकीय / गैर राजकीय संस्था जिसने आवासित बच्चों के लिये उल्लेखनीय कार्य किया हो।	सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 06 माह में	उप निदेशक, आईसीपीएस

आर्थिक उत्थान की योजनाएं					
क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता	निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी	निस्तारण अवधि	निस्तारण अवधि में समाधान न होने पर नियंत्रण अधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	<u>विशेष केन्द्रीय सहायता योजना</u> (क) बैंकिंग योजनाः– 1. पैकेज ऑफ प्रोग्राम योजना (शहरी एवं ग्रामीण) 2. ऑटो रिक्शा/ई–रिक्शा योजना। 3. व्यक्तिगत पम्पसैट योजना। 4. उन्नत नस्ल गाय/भैंस/बकरी योजना। 5. मुद्रा ऋण योजना। (ख) गैर बैंकिंग योजनाः– 1. कार्यशाला/दुकान योजना 2. कूप विद्युतीकरण/सौर ऊर्जा योजना। 3. आधुनिक कृषि यंत्र योजना। 4. बकरी पालन।	1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. आवेदक अनुसूचित जाति का सदस्य हो। 3. आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष हो। 4. आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला हो अथवा वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 54,300/– तथा शहरी क्षेत्र में रूपये 60,120/– से अधिक नहीं हो। 5. आवेदक द्वारा पूर्व में अनुजा निगम की किसी भी योजना में अनुदान प्राप्त नहीं किया हो। 6. आवेदक पर किसी ऋणदात्री संस्था/निगम अथवा सरकार का अवधिपार ऋण बकाया नहीं होना चाहिए।	परियोजना प्रबन्धक	जिला स्तर से 15 दिवस के अन्दर निस्तारण कर दिया जाता है।	प्रबन्ध निदेशक, अनुजा निगम मुख्यालय, जयपुर

आर्थिक उत्थान की योजनाएं

क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता	निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी	निस्तारण अवधि	निस्तारण अवधि में समाधान न होने पर नियंत्रण अधिकारी
1	2	3	4	5	6
2 (i)	राष्ट्रीय निगम योजना (अ) एनएसएफडीसी (अनुसूचित जाति वर्ग हेतु) 1. मियादी ऋण योजना। 2. लघु व्यवसाय योजना। 3. लघु ऋण वित्त योजना। 4. महिला समृद्धि योजना। 5. महिला किसान योजना। 6. शिल्पी समृद्धि योजना। 7. शिक्षा ऋण योजना। 8. डेयरी योजना। 9. जीप टैक्सी वाहन योजना। 10. ऑटो रिक्शा योजना। 11. ट्रेक्टर मय ट्रोली योजना। 12. बकरी पालन योजना। 13. ई–रिक्शा योजना। 14. कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना।	1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो। 3. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो। 4. आवेदक की वार्षिक आय 3.00 लाख रु0 से अधिक नहीं हो। 5. आवेदक पर किसी ऋणदात्री संस्था/निगम अथवा सरकार का अवधिपार ऋण बकाया नहीं होना चाहिए।	परियोजना प्रबन्धक	जिलों से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय स्वीकृति जारी करना।	प्रबन्ध निदेशक, अनुजा निगम मुख्यालय, जयपुर

आर्थिक उत्थान की योजनाएं

क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता	निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी	निस्तारण अवधि	निस्तारण अवधि में समाधान न होने पर नियंत्रण अधिकारी
1	2	3	4	5	6
2 (ii)	(ब) एनएसटीएफडीसी (अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु) 1. मियादी ऋण योजना। 2. लघु व्यवसाय नई योजना। 3. आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना। 4. आदिवासी शिक्षा ऋण योजना। 5. डेयरी योजना। 6. जीप टैक्सी वाहन योजना। 7. ऑटो रिक्शा योजना। 8. ट्रेक्टर मय ट्रोली योजना। 9. ई–रिक्शा योजना। 10. कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना।	1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो। 3. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो। 4. आवेदक की वार्षिक आय 3.00 लाख रु0 से अधिक नहीं हो। 5. आवेदक पर किसी ऋणदात्री संस्था/निगम अथवा सरकार का अवधिपार ऋण बकाया नहीं होना चाहिए।	परियोजना प्रबन्धक	जिलों से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय स्वीकृति जारी करना।	प्रबन्ध निदेशक, अनुजा निगम मुख्यालय, जयपुर
2 (iii)	(स) एनएसकेएफडीसी (सफाई कर्मचारी वर्ग हेतु) 1. मियादी ऋण योजना। 2. लघु ऋण वित्त योजना। 3. महिला अधिकारिता योजना। 4. शिक्षा ऋण योजना। 5. जीप टैक्सी वाहन योजना। 6. ऑटो रिक्शा योजना। 7. ट्रेक्टर मय ट्रोली योजना। 8. बकरी पालन योजना। 9. ई–रिक्शा योजना। 10. कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना। 11. राशि 2.00 लाख तक की योजना।	1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. कोई भी सफाई कर्मचारी/स्वच्छकार एवं उस पर आश्रित परिवार का व्यक्ति। 3. सफाई कर्मचारी की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो। 4. अधिकतम वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है। 5. आवेदक पर किसी ऋणदात्री संस्था/निगम अथवा सरकार का अवधिपार ऋण बकाया नहीं होना चाहिए।	परियोजना प्रबन्धक	जिलों से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय स्वीकृति जारी करना।	प्रबन्ध निदेशक, अनुजा निगम मुख्यालय, जयपुर
2 (iv)	(द) एनएचएफडीसी (दिव्यांगजन वर्ग हेतु) 1. दिव्यांगजन स्वावलम्बन योजना।	1. आवेदक राजस्थान का निवासी हो। 2. आवेदक 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांग हो। (मेडीकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र के आधार पर) 3. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो । 4. अधिकतम वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है। 5. आवेदक पर किसी ऋणदात्री संस्था/निगम अथवा सरकार का अवधिपार ऋण बकाया नहीं होना चाहिए।	परियोजना प्रबन्धक	जिलों से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय स्वीकृति जारी करना।	प्रबन्ध निदेशक, अनुजा निगम मुख्यालय, जयपुर

आर्थिक उत्थान की योजनाएं

क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता	निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी	निस्तारण अवधि	निस्तारण अवधि में समाधान न होने पर नियंत्रण अधिकारी
1	2	3	4	5	6
2 (v)	एस.टी पोप (बैंकिंग) योजना (अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु)	1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. आवेदक अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो। 3. आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं हो। 4. आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला हो अथवा वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 54,300/– तथा शहरी क्षेत्र में रूपये 60,120/– से अधिक नहीं हो। 5. आवेदक द्वारा पूर्व में अनुजा निगम की किसी भी योजना में अनुदान प्राप्त नहीं किया गया हो। 6. आवेदक पर किसी ऋणदात्री संस्था/निगम अथवा सरकार का अवधिपार ऋण बकाया नहीं होना चाहिए।	परियोजना प्रबन्धक	जिला स्तर से 15 दिवस के अन्दर निस्तारण कर दिया जाता है।	प्रबन्ध निदेशक, अनुजा निगम मुख्यालय, जयपुर
2 (vi)	एनबीसीएफडीसी (अन्य पिछडा वर्ग हेतु) 1. सावधि ऋण योजना। 2. नई स्वर्णिमा योजना। 3. लघु वित्त योजना। 4. महिला समृद्धि योजना। 5. लघु ऋण व्यक्तिगत योजना। 6. शिक्षा ऋण योजना।	1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य हो। 3. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो। 4. आवेदक की वार्षिक आय 3.00 लाख रु0 से अधिक नहीं हो। 5. आवेदक पर किसी ऋणदात्री संस्था/निगम अथवा सरकार का अवधिपार ऋण बकाया नहीं होना चाहिए।	परियोजना प्रबन्धक	जिलों से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय स्वीकृति जारी करना।	प्रबन्ध निदेशक, अनुजा निगम मुख्यालय, जयपुर
3..	महाराणा प्रताप मकान निर्माण योजना	जिस गाड़िया लोहार परिवार में पति/पत्नी के पास में स्वयं का मकान नहीं है, भूमि का नियमानुसार पट्टा है, जाति प्रमाण पत्र है, वह विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र देकर अनुदान की मांग कर सकता है।	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी	एक माह में प्रथम किश्त पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा बजट उपलब्धता पर	निदेशक/ आयुक्त सान्याअवि
4.	गाड़िया लोहारों को कच्चा माल क्रय करने हेतु अनुदान सहायता योजना	आवेदनकर्ता गाड़िया लोहार जाति से हो, जाति प्रमाण पत्र हो तथा संबंधित जिले का निवासी हो, वह विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र देकर अनुदान की मांग कर सकता है।	विभाग के जिला अधिकारियों द्वारा	एक माह में पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा बजट उपलब्धता पर	निदेशक/ आयुक्त सान्याअवि

देवनारायण योजना

क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता	निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी	निस्तारण अवधि	निस्तारण अवधि में समाधान न होने पर नियंत्रण अधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	देवनारायण उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	1. छात्र/छात्रा राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। 2. छात्र/छात्रा अति पिछडा वर्ग बंजारा, बालदिया, लबाना 2.गाड़िया–लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) 5. गडरिया (गाडरी), गायरी, का विद्यार्थी हो। 3. छात्र/छात्रा के माता–पिता/संरक्षक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय (अभ्यार्थी की स्वयं की आय को सम्मिलित करते हुए यदि है तो) 2,50,000 रूपये (दो लाख पचास हजार रूपये) तक हो। आय प्रमाण–पत्र के स्थान पर आय उद्घोषणा पत्र, शपथ पत्र तथा दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र सहित मूल ही संलग्न करना है। नियोजित माता–पिता/संरक्षक होने की स्थिति में आय प्रमाण पत्र कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी हो। 4. छात्र/छात्रा राजकीय या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों (Post Matriculation or Post Secondary Courses) में अध्ययनरत हो।	संबंधित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का जिलाधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी	पूर्ण आवेदन प्राप्ति के पश्चात् उसी वित्तीय वर्ष में	संयुक्त निदेशक (देवनारायण योजना)
2.	देवनारायण पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	1. छात्र/छात्रा राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। 2. अति पिछड़े वर्ग बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया–लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) 5. गडरिया (गाडरी), गायरी, का विद्यार्थी हो। 3. छात्र/छात्रा के माता–पिता/संरक्षक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय (अभ्यार्थी की स्वयं की आय को सम्मिलित करते हुए, यदि है तो) 2,00,000 रूपये (दो लाख रूपये) तक हो। आय प्रमाण–पत्र के स्थान पर आय उद्घोषणा पत्र, शपथ पत्र तथा दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र सहित मूल ही संलग्न करना है। नियोजित माता–पिता/संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र हो। 4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।	संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी	पूर्ण आवेदन प्राप्ति के पश्चात् उसी वित्तीय वर्ष में	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर

देवनारायण योजना					
क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता	निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी	निस्तारण अवधि	निस्तारण अवधि में समाधान न होने पर नियंत्रण अधिकारी
1	2	3	4	5	6
3.	देवनारायण गुरूकुल योजना	1. छात्र/छात्रा राजस्थान राज्य के मूल निवासी हो। 2 छात्र–छात्रा अति पिछडा वर्ग 1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया–लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) 5. गडरिया (गाडरी), गायरी का विद्यार्थी हो। 3 छात्र/छात्रा के माता–पिता आयकर दाता नहीं होने की स्वघोषणा/प्रमाण पत्र। 4 छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत रहते हुए कक्षा 5 की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 5 एक माता–पिता के अधिकतम दो पुत्र–पुत्रियों को ही प्रवेश दिया जायेगा। 6 प्रवेश पूर्व परीक्षा में पास और मेरिट अनुसार अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा चयनित 60 निजी प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा।	संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी	पूर्ण आवेदन प्राप्ति के पश्चात् उसी वित्तीय वर्ष में	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर
4.	देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना	1 राजस्थान मूल की अति पिछडा वर्ग की वे छात्राऐं जिन्होनें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं (सी.सै.) परीक्षा में पूर्णतया 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये है तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष मे प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो, उनको 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने पर प्राप्तांक प्रतिशत की वरीयता सूची अनुसार प्रतिवर्ष 1500 स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जायेगी। प्रतिवर्ष 1500 के निर्धारित लक्ष्य के अलावा 1500वीं छात्रा के प्राप्तांक के समान कट–ऑफ प्राप्तांक वाली छात्राओं को भी राशि स्वीकृत कर निःशुल्क स्कूटी वितरित की जायेगी। 2 छात्रा के माता पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये तक हो। 3 अति पिछडा वर्ग की वे छात्रायें जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.	आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर	पूर्ण आवेदन प्राप्ति के पश्चात् उसी वित्तीय वर्ष में	आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर

		50 लाख रूपये तक है एवं जो राजकीय महाविद्यालय, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के विभागों, कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि महाविद्यालयों, संस्कृत विश्वविद्यालयों/संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत है उनके द्वारा 12वीं (सीनियर सेकेण्डरी) (जो छात्रायें स्कूटी स्वीकृति की वरीयता सूची में नहीं आ पाती है उन्हें) स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में पूर्णतया 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किए है उन्हे क्रमशः प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में 10,000/– रूपये वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष (पी.जी. डीग्री प्रवेश वर्ष) में 20,000/– रूपये वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में पूर्णतया 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में 20,000/– रूपये वार्षिक बतौर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 4 उक्त योजना में लाभ प्राप्त करने वाली छात्रा को अन्य आर्थिक सहायता योजना में लाभ देय नहीं होगा। 5 12वीं (सी.सै.) तथा नियमित स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातक अंतिम वर्ष एवं नियमित स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अन्तराल (गैप) होने पर योजना का लाभ देय नहीं होगा।			

सामाजिक उत्थान एवं संरक्षण					
क्र. सं.	**योजना का नाम**	**पात्रता**	**निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी**	**निस्तारण अवधि**	**निस्तारण अवधि में समाधान न होने पर नियंत्रण अधिकारी**
1	2	3	4	5	6
1.	डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। (5.00 लाख रू. की प्रोत्साहन राशि)	1. अनुसूचित जाति वर्ग का युवक अथवा युवती, जिसने किसी सवर्ण हिन्दू युवक अथवा युवती से, जो दोनों ही राजस्थान के मूल निवासी है एवं युगल में से किसी की भी आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं हो, और जो किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध न हो, से विवाह किया हो। 2. अन्तर्जातीय विवाह करने वाले युगल के विवाह के प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकरण/अधिकारी कार्यालय से जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र हो। 3. युगल की संयुक्त आय 2.50 लाख रूपये वार्षिक से अधिक नहीं हो। 4. ऐसे युगल द्वारा राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी समानान्तर योजना में कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं किया हो। 5. विवाह की दिनांक से एक वर्ष की अवधि में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही योजनान्तर्गत लाभ देय होगा। 6. युवक/युवती के प्रथम विवाह पर ही इस योजना का लाभ देय होगा।	राज्य स्तर :– उप निदेशक (अत्याचार निवारण) सान्याअवि। जिला स्तर :– जिला अधिकारी, सान्याअवि।	पूर्ण आवेदन प्राप्ति के पश्चात् 2 माह में	आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।